निरीक्षण रिपोर्ट / Inspection Report

अधीनस्थ अनुभाग का नाम : **सतर्कता अनुभाग, मुख्यालय,** **केंद्रीय कर, बेंगलूरु उत्तर आयुक्तालय**	निरीक्षण तारीख़ : **08-07-2026** निरीक्षण अधिकारी : **श्री गिरीश वैद्य,** **सहायक आयुक्त**

अनुभाग में, 02 राजपत्रित, 02 अराजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं।
Section is manned by, 02 Gazetted Officers & 02 Non-Gazetted Officers.

उक्त दिनांक पर अनुभाग में राजभाषा प्रगति संबंधी निरीक्षण किया गया तथा अनुभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रश्नावली के अनुसार यह पाया गया है कि सतर्कता अनुभाग द्वारा मुख्यालय में हिंदी कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं । जो सराहनीय है जैसे,

1) रबड़ मुहरें, बैज/बिल्ले द्विभाषी रूप में और साइन बोर्ड और नाम पट्ट त्रिभाषा/द्विभाषा रूप में हैं ।
2) सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा है ।
3) समय पर हिंदी की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।
4) अनुभाग के सभी अधिकारी हिंदी में प्रशिक्षित हैं ।
5) धारा 3(3) के अधीन आनेवाले सभी काग़ज़ात द्विभाषा रूप में जारी किये जा रहे हैं ।

The inspection regarding the implementation of Official Language in section was done on the date mentioned above and from the Inspection Questionnaire submitted it is found that the Vigilance Section of Headquarters is taking great efforts in implementing Hindi as Official Language. Which is appreciable viz.

1) Rubber Stamps and Badges/Shoulder epaulets are in Bilingual form and Sign Board and Name Plate are in Trilingual form.
2) Bilingual typing facility has been provided in all the computers.
3) The Quarterly Hindi Report is being submitted on time.
4) All the Officers of Section are trained in Hindi.
5) All the documents under Section 3(3) are being issued in bilingual form.

<u>निरीक्षण अधिकारी के विशिष्ट सुझाव :</u>

निरीक्षण अधिकारी द्वारा कार्यालयीन काम में राजभाषा की प्रगति के लिए निम्नलिखित निदेश दिया जाता है ।

The following suggestions are given by the Inspecting Officer for the progressive usage of Official Language in the Official work.

1. <u>हिंदी में मूल पत्राचार</u> : कार्यालय द्वारा कुल 82 पत्र हिंदी/द्विभाषी में दर्शाए गएं। इस दिशा में निरीक्षण के दौरान यह बताया गया है कि पूर्ण रूप में कुछ द्विभाषी में पत्र पाएं जाए । यह सुझाव दिया गया है कि अगले तिमाही से सही आंकडे दर्शाया जाए । वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र 'ग' के लिए 60% पत्राचार हिंदी/ द्विभाषा में होना चाहिए । यह भी सुनिश्चित करें कि 'ग' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/ उनके कार्यालयों/ व्यक्तियों को भेजे गए पत्रों की संख्या इस में शामिल न करें। <u>इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाए कि सिर्फ कार्यालय पता और अभिवादन द्विभाषी रूप में होने से उस पत्र को हिंदी पत्र नहीं समझा जाएगा।</u>

<u>Original Hindi Correspondence :</u> 82 letters were shown against Hindi/Bilingual. In this regard, during inspection few letters were issued fully in bilingual form. It is also suggested to reflect correct figures from next quarter onwards. According to the Annual Programme, with regard to Region 'C' 60% of correspondence should be in Hindi. The letters addressed to State Governments/their Offices/persons situated in Region 'C' may not be included in this column. <u>It is also insisted that if the letter head and salutation is in Bilingual form that letter will not be treated as bilingual letter</u>.

2. <u>फाइलों में हिंदी में टिप्पणियॉ :</u> वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार फाइलों पर लिखी जानेवाली कुल टिप्पण की पृष्ठों की संख्या की 35% हिंदी में होना है । निरीक्षण के दौरान कुछ टिप्पणियॉ द्विभाषा में पाई गईं । इस दिशा में यह निदेश दिया जाता है कि सभी अधिकारियों द्वारा हिंदी में टिप्पणियां लिखी जाए।

<u>Notings in Hindi in Files :</u> As per the annual program 35% of the total number of notesheet pages must be written in bilingual. During inspection, most of the notings were seen in Bilingual form. In this regard, it is directed that all the officers may write notings in Hindi.

3. <u>फाइलों पर विषय</u> : निरीक्षण के दौरान कुछ फाइलों पर विषय द्विभाषा में पाए गएं तथा इस दिशा में सुझाव दिया जाता है कि बचे हुए अन्य फाइलों पर विषय द्विभाषा में लिखा जाए ।

<u>Subjects on files :</u> During inspection it was seen Bilingual Subjects on some files of section. In this regard it is suggested that on rest of the files, the subjects may be written in Bilingual form.

4. <u>रजिस्टरों में प्रविष्टियां</u> : अनुभाग में 02 रजिस्टर हैं । कुछ पर शीर्ष द्विभाषा में नहीं हैं। प्रविष्टियॉ हिंदी में करने का प्रयास करें ।

<u>Entries in Registers</u>: 02 registers are available in the Section. On few, headings are not in Bilingual. Efforts may be taken to make entries in Hindi.

राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) और नियम 5 के 100% अनुपालन का व्यक्तिगत जिम्मेदारी हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी पर है ।
As per Rule 6 of the Official Language Rules 1976 it is the personal responsibility of the signing authority for the 100% compliance of Section 3(3) and Rule 5.

अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को भेज दी जाए।
Compliance report may be forwarded to the undersigned within 15 days.

Digitally signed by
GIRISH VAIDYA
Date: 03-09-2026
15:16:02

(गिरीश वैद्य)
सहायक आयुक्त

सेवा में/To,
अधीक्षक/The Superintendent,
सतर्कता अनुभाग/Vigilance Section,
मुख्यालय/Headquarters, केंद्रीय कर /Central Tax,
बेंगलूरु उत्तर आयुक्तालय/Bengaluru North Commissionerate.